हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक:हि०शि०बो०(31)/Accreditation & Withdrawal/2021/ SOS Admin/ 21778-999 दिनांक:-14 .12.2021

"अधिसूचना"

अधिसूचना संख्या क्रमांक: हि०शि०बो०(31)/BOD Meeting 115th -Item-08/2019/SOS Admin/14001-14150 दिनांक:- 16 .01.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता है कि हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (**HPSOS**) के अन्तर्गत भविष्य से अध्ययन केन्द्रों का सृजन व मान्यताओं को निरस्त निम्न प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा:-

मान्यता हेतु मानक व मापदंड (Norms & Criteria of Accreditation)

1. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजन हेतु आवेदन/अनुरोध पत्र केवल सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/सचिव/अध्यक्ष के माध्यम से ही निर्धारित प्रपत्र " Form - B " सहित बोर्ड कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्रों का सृजन केवल ऐसे विद्यालयों में ही किया जाएगा जोकि जमा दो कक्षा तक कम से कम पिछले पांच वर्षो से लगातार सम्बद्धता प्राप्त हैं। परन्तु ऐसे विद्यालय जोकि दसवीं कक्षा तक बोर्ड से सम्बन्द्धता प्राप्त हैं और जहां हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजित हो चुका है तो इनसे जमा दो कक्षा के परीक्षार्थियों हेतु PCP के संचालन करवाने के उदेश्य से पात्र अध्यापकों को अपने स्तर पर तैनात करने बारे शपथ पत्र बोर्ड कार्यालय को देना होगा।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजन हेतु सम्बन्धित विद्यालय (निजी शिक्षण संस्थान/सरकारी विद्यालय) के **10 km** के दायरे में हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय का पहले से ही सृजित अध्ययन केन्द्र (सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान) नही होना चाहिए जिसके लिए उसे दूरी प्रमाण पत्र पी० डब्लयू० डी० (**PWD**) कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा।
4. अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऑन मैरिट के आधार पर निर्धारित दूरी में छूट प्रदान कर सकते हैं।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजन हेतु निजी शिक्षण संस्थान के लिए शुल्क राशि 30,000/- है, जोकि केवल दो वर्षो के लिए ही मान्य होगी। इसके पश्चात हर वर्ष निजी शिक्षण संस्थानों को राशि 5,000/- हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्र नवीनीकरण शुल्क के रूप में बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
6. ऐसे समस्त अध्ययन केन्द्र (निजी शिक्षण संस्थान) जिन्हें हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजित हुए निर्धारित दो वर्षो का समय पूर्ण हो चुका है उन्हें भी अध्ययन केन्द्र नवीनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
7. नवीनीकरण शुल्क जमा नही करवाने की स्थिति में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र परीक्षार्थियों के नवीन व री-अपीयर के आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र नही होगें और सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के री-अपीयर परीक्षार्थियों को नज़दीक का अध्ययन केन्द्र प्रवेश पत्र भरने के लिए आबंटित किया जाएगा। जिसकी सूचना स्वयं सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक को उनके अध्ययन केन्द्र में पंजीकृत परीक्षार्थियों को देनी होगी।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा नही करवाने की स्थिति में परीक्षार्थियों के अध्ययन केन्द्र को नज़दीकी अध्ययन केन्द्र में तबदील करने हेतु सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को प्रचलित **"अध्ययन केन्द्र परिवर्तन"** शुल्क बोर्ड कार्यालय में स्वयं जमा करवाना अनिवार्य होगा।
9. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के तहत केवल पात्र परीक्षार्थियों के आनॅलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे जिनकी पूर्ण रूप से पात्रता की जांच की गई हो और बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों/मापदंडों की पूर्ती करते हों।

10. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय में परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार करने से सम्बन्धित पात्रता/नियम/श्रेणियां आदि की जानकारी बारे हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय में प्रचलित Prospectus/Manual व विशेष दिशानिर्देशों को अवश्य पढ़ें।
11. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के माध्यम से पंजीकृत होने वाले समस्त परीक्षार्थियों के पूर्ण रिकॉर्ड व दस्तावेज़ों को नियमित परीक्षार्थियों की तर्ज़ पर ही अध्ययन केन्द्र अपने पास सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क से सम्बन्धित पूर्ण रिकॉर्ड सत्रबार/कक्षाबार व Admission Withdrawal Register भी तैयार करना अनिवार्य होगा।
12. नियमित छात्रों की तर्ज़ पर ही हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के छात्रों को सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र विद्यालय त्याग पत्र (**School Leaving Crtificate**) भी देना सुनिश्चित करेंगे और इससे सम्बन्धित पूर्ण रिकॉर्ड भी अनुरक्षण करेंगे।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र सृजित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अधोसंरचना उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक जानकारी बोर्ड कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र "Form-B'' के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
14. निर्धारित प्रपत्र "Form-B'' को बोर्ड कार्यालय में समय पर (एक सप्ताह के भीतर) जमा नही करवानें की स्थिति में अध्ययन केन्द्र सृजन के अनुरोध को निरस्त कर दिया जाएगा।
15. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालयों (सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान) का बोर्ड कार्यालय द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। अतः हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय से पंजीकृत परीक्षार्थियों का पूर्ण रिकॉर्ड व दस्तावेज़ सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र सुरक्षित रखेंगे।
16. समस्त अध्ययन केन्द्रों में आठवीं, दसवीं और जमा दो कक्षाओं के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पूर्णयता: ऑनलाइन ही भरे जाएंगे।
17. समस्त अध्ययन केन्द्र कार्यालय द्वारा जारी किए गए User Code और Password की गोपनीयता को बनाये रखेंगे।

मान्यता निरस्त करने की प्रकिया (**Procedure for withdrawal of Accreditation):**

यदि बोर्ड कार्यालय को प्रतीत होता है कि अध्ययन केन्द्र निम्नलिखित में से किसी भी तरह के अनुचित कार्य में शामिल है तो बोर्ड कार्यालय सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र की मान्यता को निरस्त कर सकता है:-

1. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र द्वारा निर्धारित मापदंडों की अनुपालना न करना व नियमों की अवहेलना करना ।
2. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र द्वारा परीक्षार्थियों से निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक परीक्षा शुल्क लेना।
3. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र द्वारा निर्धारित / अन्य निर्देशित सामग्री परीक्षार्थियों को वितरण न करना या वितरण करने के बदले में या बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य से अतिरिक्त शुल्क की मांग करना।
4. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र द्वारा परीक्षार्थियों से सम्बन्धित पूर्ण रिकॉर्ड व दस्तावेज़/Admission Withdrawal Register का अनुरक्षण न करना।
5. बोर्ड कार्यालय/बोर्ड कार्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा सरकारी व निजी अध्ययन केन्द्र के औचक निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड दिखाने से मना करना/सही रिकॉर्ड का नही होना आदि।
6. हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड की संचालित करवाई जाने वाली परीक्षाओं के लिए भवन और स्टाफ देने में अनाकानी करना।
7. परीक्षा के दौरान हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षा केन्द्र का अपर्याप्त पर्यवेक्षण होना जिसके कारण सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी अनुचित साधनों/सामूहिक नकल का उपयोग करने के लिए प्रेरित हो।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के ऐसे निजी और सरकारी अध्ययन केन्द्र जहां लगातार तीन वर्षों से आठवीं, दसवीं और जमा दो कक्षाओं में नवीन प्रवेश/पंजीकरण 30 छात्रों से कम का हो।
9. परीक्षार्थियों के बिना पात्रता की जांच किए और बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना कर गलत ऑनलाइन प्रवेश पत्र भरना।
10. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के सम्बन्धित समन्वयक अपने विद्यालय में चल रहे अध्ययन केन्द्र को बंद/स्थगित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं बशर्ते कि उनके विद्यालय के

री-अपीयर परीक्षार्थियों को नज़दीकी अध्ययन केन्द्र आबंटित करने की जानकारी समस्त छात्रों को समय पर दी हो।

11. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र को बंद/स्थगित करने फलस्वरूप अध्ययन केन्द्र सृजन व नवीनीकरण शुल्क को वापिस नही किया जाएगा।
12. किसी भी हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र की मान्यता को रद्द करने से पूर्व उसके विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाएगा।

सचिव,(हि0 प्र0 से0)

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांकः- 14 .12.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक माननीय अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
2. निजी सहायक माननीय सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशााला।
3. संयुक्त सचिव, हि०प्र०स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. अतिरिक्त सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
6. अनुभाग अधिकारी IT Cell को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने और समस्त हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के **User Ids** पर भी अपलोड करवाएं।
7. समस्त हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के समन्वयकों को उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करने हेतु।
8. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

सचिव,(हि0 प्र0 से0)